

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क

मुठ नं० 61/15 फर्द अहकाम तारीख 27.7.15

उत्पान - रमेशचन्द बनाम भद्रयाश्रीना के
जो

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री मदन मोहन शर्मा Adv. ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत आपत्त पत्र जमावादी अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब कर पत्रावली दिनांक 7.9.15 को पेश हो।

1642-53

22-7-15

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करीली)

7-9-15 पत्रावली पेश हुई वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। तहसीलदार डेडाभीम संखे 1011 की तामिल अपाप्त है। प्रतिवादी सं० 12 की तामिल है। वकील है। वस्ति तामिल इन्तजार दिनांक 13-10-15 को पेश हो।

210/15


वादी वकील उप। प्रतिवादी सं० 12 बावजूद अपना उपस्थित नहीं है। उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी के 1011 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा Adv. ने उपस्थित दर्ज कराई। आगामी पेशी पर वकालत नामा पेश करने का कथन किया। वस्ति पेश करने वकालत नामा व जब्त दिनांक 24-11-15 को पेश हो।

Noted
12-10-15

24/15

सकल कार्य उपस्थित पीठारन अधिकारी
दिनांक 22-12-15 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
13.11.19	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं हैं कई बार आवाज दिलवाई गई। फिर भी वादी वकील एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं थे। अतः यह दाय आदम हाजिरी एवं आदम पैरवी में खारिज किया जाता है। इस पत्रावली के हकफिला पत्रावली इनवनी काइराम बनाम रमेश अलग की जाती है तथा इस पत्रा में शामिल भूरया S/o देव-चंद मीना का शफ़ पत्र अलग कर इनवनी पत्रावली काइराम बनाम रमेश को में शामिल किये जाने के आदेश दिए जाते थे यह पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दारिखत दफ़तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) </p>

